प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 24.04.2026

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6005 द्वारा दो मोटरसाइकिल आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल-
पीआरवी 6005 को बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत बभनी से कालर सूरज ने बाईक का बाईक में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 03 लोगो (1.अहमद रजा पुत्र मो0 रजा सा0 तिमोड़िया थाना रूधौली जनपद बस्ती 2.शहजाद हुसैन पुत्र सरवर हुसैन सा0 मेहनिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर कर दुर्घटना में घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायलों को इलाज हेतु सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 सरियतुल्ला, आ0 अभिषेक मिश्रा, हो0गा0चा0 उमेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 190 वाहनों से 1,97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 24.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 190 वाहनों से 1,97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिक को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 24.04.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2026 धारा 87, 137(2) , 65(1) बीएनएस व 3/7 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामानन्द उर्फ श्रवण पुत्र रमेश चौहान ग्राम बैजनाथपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धनघटा चौराहे से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।
विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 28.03.2026 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिक पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 24.04.2026 को उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार/बरामद करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 शरद कुमार राय।